

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलुम्बर (राज.)

मुकदमा नं० श्रीमती गमेरी काटव अन्य बनाम श्रीमती गमेरी काटव अन्य
 पत्रावली संख्या 11 सं० 2024

तारीख हुवम 24/6/24 कार्यवाही विवरण 11 हस्ताक्षर पार्टी

<p>24/6/24</p>	<p>बाद जॉन पत्रावली दर्ज शिफारस प्रोक्त पेश हुई प्रतीवादी को जारि यू चना फा तलब कीया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 5.7.24 को पेश की।</p>	<p>उक्त पत्रावली की जारी के ले डमे कोर्ट आफली नही</p>
<p>5.7.24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, तलबीलदार लसाडिया से प्रानि सं. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 की बाद तामील प्राप्त हुई व प्रानि सं. 9, 11, 15 अदम तामील प्राप्त हुई प्रानि सं. 13, 14, 16, 17, 18, 19 न्यायालय में उपस्थित, उपस्थित प्रतीवादी ने वासी के प्रार्थना पत्र की सप्रति जारी की सप्रति के आधार पर हस्ताक्षर किये व प्रतीवादी सं. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 न्यायालय में अनुपस्थित, अनुपस्थित प्रतीवादी को जवाब अन्य जिया जाना है शेष का जवाब वास्ते पत्रावली दिनांक 19/7/2024 को पेश की।</p>	<p>केशा → 16 प्रति शंकर (14) प्रति शेमा → मंगलिका → नारु → नारव ↓ 19 प्रति. - 13 प्रति - 18 प्रति - 17 प्रति</p>
<p>19.7.24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई प्राची अचिबल्ल उपस्थित प्रतीवादी अनुपस्थित, प्रतीवादी सं. 6, 11, 20, 21 की प्रोपर तामील नही लेने से पुन सभत मध्य तलबाना पेशी दिनांक 26/7/24 को पेश की।</p>	
<p>26.7.24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली वास्ते <u>जवाब</u> दिनांक <u>2.8.24</u> को पेश हो।</p>	
<p>2.8.24</p>	<p>पत्रावली डाक अदालत प्रस्तुत हुई अधिवक्ता वादी श्री जॉनी जॉन उपस्थित है, दिनांक</p>	<p>प्रतीवादी संख्या 60 21, 22 की हजे मई दाक नही चारि जामे सि.</p>

उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

5.7.24 को प्रतिवादी सं. 1 से 5, 7 से 8
10, 12, 13, 14, 16 से 19 व 22 की तालीम
के बाद प्रति-पत्रावली पर प्रतिवादी सं. 13
14, 16 से 19 के अलावा सभी प्रतिवादी अनुपस्थित
रहे। प्रतिवादी सं. 13, 14, 16 से 19 के अलावा
सबका जवाब बन्द बीमा गया, प्रतिवादी
सं. 13, 14, 16 से 19 ने सदगति न्याया की
तथा कथन बीमा की अगर पत्थरगद्दी की
जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, प्रति
सं. 1 से 12 व 15 के विरुद्ध इक तरफा
आर्षवाही अमल में लगे जाती है, प्रतिवादी
सं. 22 का जवाब भी बावजूद तालीम के
नहीं आया है साथ ही प्रतिवादी सं. 22 अनु
भी है।



अधिवक्ता वादी ने उपरिष्ठ की कथन
बिना की उन्हें प्रतिवादी सं. 6, 20, 21, के
विरुद्ध कोई दाद भी नहीं चाहिये तथा सदगति
स्वल्प हस्तक्षार किये, अधिवक्ता प्रतिवादी ने
जोकि प्रतिवादी सं. 6, 20, 21, के विरुद्ध
कोई दादकारी चली है अतः इनके विरुद्ध सम
न्यायालय से अब कोई आदेश जारी नहीं किया
जाता है, अतः अब समस्त तालीम की
आवश्यकता नहीं है

जोकि अब पत्रावली में तालीम अथवा
जवाब से सब की कोई वापवाही शेष नहीं है।
तथा प्रतिवादी सं. 13, 14, 16 से 19 ने पत्थरगद्दी
से सदगति न्याया की अतः वाद पत्र अनुसार
दिये गये आशपी सं. 213 कुल रकम 3.3450
को मीणा देवलीया के पत्थरगद्दी के आदेश
जारी किये जाते हैं, तस्वीलदार को आदेशित
किया जाता है की अपने वापवाली से
सूचना पत्र कर जारी कर मौके पर
केवल आशपीमात की पत्थरगद्दी को

जहानिया, जिला सबलपुर (मि.)
अधिकारी

कार्य निष्पादन करें, वादी तहसीलदार के
-पाके व निर्देशानुसार मौके पर उपयुक्त
स्मार्टफोन के पत्थर (गाड़ने हेतु) तथा मजदूर
(गाड़वा करने हेतु) उपलब्ध कराएँ।

वादी तहसीलदार का एक दिवस
का वेतन शालकोष से जमा कराने पर ही
पत्थरगही का कार्य किया जावे। उक्त एक
दिवस के वेतन से नियमानुसार तहसीलदार
उत्तको देय राशि पृथक से बिल बनाकर
शालकोष से आहरित कर सकेंगे। T.R.A.
नियमानुसार उक्त की मांग कार्यवाही करें
इस हेतु एक प्रति T.R.A. को भी निर्णय
की भेजी जावे।

पत्रावली में निर्णय रबुले अदावात मुनका
गया, पत्रावली जं.सल शुभ्राटं कोकर नम्बर से
कम है।

उपलब्ध अधिकारी
कसाडेया, जिला सलुम्बर (राज.)

